



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 902]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 14, 2012/वैशाख 24, 1934

No. 902]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 14, 2012/VAISAKHA 24, 1934

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2012

**का.आ. 1101(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ एकवां संशोधन नियम, 2012 है ।  
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,—
  - (1) प्रथम अनुसूची में, “34. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, निम्नलिखित उप-शीर्षक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
    - “(i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
    - (ii) निःशक्तता कार्य विभाग”;
  - (2) द्वितीय अनुसूची में,—
    - (क) “विधि और न्याय मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, “ख. विधायी विभाग” उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"1. विधेयकों का प्रारूपण, जिसके अंतर्गत प्रवर समितियों में प्रारूपकारों का कार्य भी है, अध्यादेशों और विनियमों का प्रारूपण और प्रख्यापन; राज्य अधिनियमों का राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में अधिनियमन, जब भी अपेक्षित हो; कानूनी नियमों और आदेशों की संवीक्षा (राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 और धारा 3क, धारा 3घ, धारा 7 तथा धारा 8क के अधीन अधिसूचनाओं को छोड़कर)।";

(ख) "सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"4. विधायी विभाग से संवीक्षा और विधीक्षा कराए बिना, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) और धारा 3क, धारा 3घ, धारा 7 तथा धारा 8क के अधीन अधिसूचनाएं जारी करना।"

(ग) "सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप-शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"क. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

1. संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3--- समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषय:

यायावरी और प्रवासी जनजातियां।

2. निम्नलिखित समूहों से संबंधित मामलों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना, अर्थात्:-

- (i) अनुसूचित जातियां;
- (ii) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग;
- (iii) ऐसी जनजातियां जिनकी अधिसूचना रद्द कर दी गई हो;
- (iv) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग; और
- (v) वरिष्ठ नागरिक।

टिप्पण: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ऊपर (i) से (iv) में उल्लिखित समूहों के विकास के कार्यक्रमों की समग्र नीति, नियोजन और समन्वय, तथा ऊपर (v) पर उल्लिखित समूह के कल्याण के लिए नोडल विभाग होगा। तथापि, इन समूहों से संबंधित सेक्टरीय कार्यक्रमों के संपूर्ण प्रबंधन और मानीटरी आदि का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन का होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग अपने सेक्टर के संबंध में नोडल उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।

3. ऊपर प्रविष्टि 2 के अधीन (i) से (iv) में उल्लिखित समूहों के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण के लिए विशेष स्कीमों, उदाहरणार्थ छात्रवृत्तियां, छात्रावास, आवासीय विद्यालय, दक्षता प्रशिक्षण, स्व-रोजगार के लिए रियायती ऋण तथा सहायकी, आदि।
4. हाथ से कचरा बीनने वालों का वैकल्पिक उपजीविकाओं में पुनर्वास।
5. वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख तथा सहायता के कार्यक्रम।
6. मद्यनिषेध।
7. मद्यव्यसनिता और पदार्थों (औषध) के अनुचित प्रयोग से पीड़ित व्यक्तियों, तथा उनके परिवारों का पुनर्वास।
8. भिक्षावृत्ति।
9. विभाग में निपटाए जाने वाले मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय और करार।
10. विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में जागरूकता पैदा करना, अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रशिक्षण।
11. विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में पूर्ण और धार्मिक विन्यासों और स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन और विकास।
12. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22)।
13. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) (जहां तक इसका संबंध अनुसूचित जातियों से है तथा इस अधिनियम के अधीन अपराधों से संबंधित आपराधिक न्याय के प्रशासन को छोड़कर)।

14. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27)।
15. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का 56)।
16. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
17. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग।
18. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
19. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम।
20. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम।
21. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम।
22. राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान।
23. डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन।
24. बाबू जगजीवन राम राष्ट्रीय फाउंडेशन।

ख. निःशक्तता कार्य विभाग

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1--- संघ सूची के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषय:

1. दान की गई राहत सामग्री/प्रदायों के शुल्क-मुक्त आयात के लिए भारत-संयुक्त राज्य, भारत-यूनाइटेड किंगडम, भारत-जर्मनी, भारत-स्विट्जरलैंड और भारत-स्वीडन करार और ऐसी आपूर्तियों के वितरण से संबंधित मामले।

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 3--- समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित विषय (केवल विधायन के संबंध में):

2. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, उस सीमा तक छोड़कर जहां तक वे किसी अन्य विभाग को आबंटित हैं।
3. संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2-- राज्य सूची अथवा सूची 3-- समवर्ती सूची के भीतर आने वाले निम्नलिखित विषय, जहां तक इनका संबंध ऐसे राज्य-क्षेत्रों से है:

निःशक्त और अनियोज्ययोग्य व्यक्तियों की सहायता, सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा, उस सीमा तक छोड़कर जहां तक वे किसी अन्य विभाग को आबंटित हैं।

4. निःशक्तता तथा निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित मामलों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करना।

टिप्पण: निःशक्तता कार्य विभाग, निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यक्रमों की समग्र नीति, नियोजन तथा समन्वय के लिए नोडल विभाग होगा। तथापि, इस समूह से संबंधित सेक्टरीय कार्यक्रमों के संपूर्ण प्रबंधन और मानीटरी आदि का उत्तरदायित्व संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासन का होगा। प्रत्येक केन्द्रीय मंत्रालय या विभाग अपने सेक्टर के संबंध में नोडल उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा।

5. निःशक्त व्यक्तियों के पुनर्वास और सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक सशक्तीकरण हेतु विशेष स्कीमों, उदाहरणार्थ सहायक यंत्र तथा उपकरणों की आपूर्ति, छात्रवृत्तियां, आवासीय विद्यालय, दक्षता प्रशिक्षण, स्व-रोजगार के लिए रियायती ऋण और सहायकी, आदि।

6. पुनर्वास वृत्तिकों की शिक्षा और प्रशिक्षण।

7. विभाग में निपटाए जाने वाले मामलों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा करार; निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय।

8. विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में जागरूकता पैदा करना, अनुसंधान, मूल्यांकन और प्रशिक्षण।

9. विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में पूर्ण और धार्मिक विन्यासों, और स्वैच्छिक प्रयासों का संवर्धन और विकास।

10. भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34)।

11. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 01)।

12. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44)।

1732 GI/12-2

13. भारतीय पुनर्वास परिषद।
14. मुख्य आयुक्त. निःशक्तता ।
15. राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास ।
16. राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति वित्त और विकास निगम।
17. कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर ।
18. दीन दयाल उपाध्याय, विकलांगजन संस्थान, नई दिल्ली ।
19. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कोलकाता ।
20. राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान, देहरादून ।
21. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद ।
22. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई ।
23. राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, कटक ।
24. राष्ट्रीय बहु-विकलांगजन सशक्तीकरण संस्थान, चेन्नई।
25. ' भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली।'

प्रतिभा देवीसिंह पाटील,  
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2011-मंत्रि.]

सोम दत्त शर्मा, निदेशक (मंत्रिमंडल)

### CABINET SECRETARIAT

### NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2012

**S.O. 1101(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and First Amendment Rules, 2012.
- (2) They shall come into force at once.

## 2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(1) In THE FIRST SCHEDULE, under the heading "34. Ministry of Social Justice and Empowerment (Samajik Nyaya aur Adhikarita Mantralaya)", the following sub-headings shall be inserted, namely:-

- "(i) Department of Social Justice and Empowerment (Samajik Nyaya aur Adhikarita Vibhag)
- (ii) Department of Disability Affairs (Nishaktata Karya Vibhag);

(2) In THE SECOND SCHEDULE,-

(a) under the heading "MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (VIDHI AUR NYAYA MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. LEGISLATIVE DEPARTMENT (VIDHAYEE VIBHAG)", for entry 1, the following entry shall be substituted, namely:-

"1. The drafting of Bills, including the business of the Draftsmen in Select Committees, drafting and promulgation of Ordinances and Regulations; enactment of State Acts as President's Acts, whenever required; scrutiny of Statutory Rules and Orders (except notifications under clause (a) of section 3 and sections 3A, 3D, 7 and section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956).";

(b) under the heading "MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SADAK PARIVAHAN AUR RAJ MARG MANTRALAYA)", for entry 4, the following entry shall be substituted, namely:-

"4. Issuance of notifications under clause (a) of section 3 and sections 3A, 3D, 7 and section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) without being scrutinised and vetted by the Legislative Department.";

(c) under the heading "MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SAMAJIK NYAYA AUR ADHIKARITA MANTRALAYA)", for the entries, the following sub-headings and the entries relating thereto shall be substituted, namely:-

**"A. DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SAMAJIK NYAYA AUR ADHIKARITA VIBHAG)**

1. The following subject which fall within List III - Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution:

**Nomadic and Migratory Tribes.**

2. To act as the nodal Department for matters pertaining to the following groups, namely:-

- (i) Scheduled Castes;
- (ii) Socially and Educationally Backward Classes;
- (iii) Denotified Tribes;
- (iv) Economically Backward Classes; and
- (v) Senior Citizens.

Note: The Department of Social Justice and Empowerment shall be the nodal Department for the overall policy, planning and coordination of programmes for the development of the groups mentioned at (i) to (iv) above, and the welfare of the group at (v) above. However, overall management and monitoring etc. of the sectoral programmes in respect of these groups shall be the responsibility of the concerned Central Ministries, State Governments and Union territory Administrations. Each Central Ministry or Department shall discharge nodal responsibility concerning its sector.

3. Special schemes aimed at social, educational and economic empowerment of the groups mentioned at (i) to (iv) under entry 2 above, e.g. scholarships, hostels, residential schools, skill training, concessional loans and subsidy for self-employment, etc.

4. Rehabilitation of Manual Scavengers in alternative occupations.

5. Programmes of care and support to senior citizens.

6. Prohibition.

7. Rehabilitation of victims of alcoholism and substance abuse, and their families.

8. Beggary.

9. International Conventions and Agreements on matters dealt within the Department.

10. Awareness generation, research, evaluation and training in regard to subjects allocated to the Department.

11. Charitable and Religious Endowments and promotion and development of Voluntary Effort pertaining to subjects allocated to the Department.



12. The Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955).
13. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), (in so far, as it relates to the Scheduled Castes, excluding administration of criminal justice in regard to offences under the Act).
14. The National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993).
15. The Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (56 of 2007).
16. The National Commission for the Scheduled Castes.
17. The National Commission for Safai Karmacharis.
18. The National Commission for Backward Classes.
19. The National Scheduled Castes Finance and Development Corporation.
20. The National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation.
21. The National Backward Classes Finance and Development Corporation.
22. National Institute of Social Defence.
23. Dr. Ambedkar Foundation.
24. Babu Jagjivan Ram National Foundation.

**B. DEPARTMENT OF DISABILITY AFFAIRS  
(NISHAKTATA KARYA VIBHAG)**

The following subjects which fall within List I - Union List of the Seventh Schedule to the Constitution:

1. Indo-US, Indo-UK, Indo-German, Indo-Swiss and Indo-Swedish Agreements for Duty-free import of donated relief goods/supplies and matters connected with the distribution of such supplies.

The following subjects which fall within List III - Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution (as regards legislation only):

2. Social Security and Social Insurance, save to the extent allotted to any other Department.

3. For the Union territories, the following subjects which fall in List II -State List or List III - Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution, in so far as they exist in regard to such territories:

Relief of the Disabled and the unemployable; Social Security and Social Insurance, save to the extent allotted to any other Department.

4. To act as the nodal Department for matters pertaining to Disability and Persons with Disabilities.

Note: The Department of Disability Affairs shall be the nodal Department for the overall policy, planning and coordination of programmes for Persons with Disabilities. However, overall management and monitoring etc. of the sectoral programmes in respect of this group shall be the responsibility of the concerned Central Ministries, State Governments and Union territory Administrations. Each Central Ministry or Department shall discharge nodal responsibility concerning its sector.

5. Special schemes aimed at rehabilitation and social, educational and economic empowerment of Persons with Disabilities, e.g. supply of aids and appliances, scholarships, residential schools, skill training, concessional loans and subsidy for self-employment, etc.

6. Education and Training of Rehabilitation Professionals.

7. International Conventions and Agreements on matters dealt with in the Department; The United Nation Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

8. Awareness generation, research, evaluation and training in regard to subjects allocated to the Department.

9. Charitable and Religious Endowments, and promotion and development of Voluntary Effort pertaining to subjects allocated to the Department.

10. The Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992).

11. The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 (1 of 1996).

12. The National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999).
13. The Rehabilitation Council of India.
14. The Chief Commissioner for Persons with Disabilities.
15. The National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities.
16. The National Handicapped Finance and Development Corporation.
17. Artificial Limbs Manufacturing Corporation, Kanpur.
18. Deen Dayal Upadhyaya Institute of Physically Handicapped, New Delhi.
19. National Institute for the Orthopaedically Handicapped, Kolkata.
20. National Institute of Visually Handicapped, Dehradun.
21. National Institute of Mentally Handicapped, Secunderabad.
22. Ali Yavar Jung National Institute for the Hearing Handicapped, Mumbai.
23. National Institute of Rehabilitation Training and Research, Cuttack.
24. National Institute for the Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Chennai.
25. The Indian Sign Language Research and Training Centre, New Delhi."

PRATIBHA DEVISINGH PATIL,  
President

[F. No. 1/22/1/2011-Cab.]  
S. D. SHARMA, Director (Cabinet)